तारीख हुक्म	दावा 37/24 साबिर - [illegible] वगै० हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-5-26	वकील वादी ने एक प्रार्थनापत्र पत्रावली तलब हेतु पेश किया प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया पत्रावली तारीख पेशी से तलब की गई वकील वादी ने प्रार्थनापत्र पेश कर अवगत कराया कि उभयपक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है एवं पत्रावली को आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः पत्रावली राजीनामा के आधार पर फैसल शुमार की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)	

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

प्र.न.
66.....	तारीख रजु 02.12.20	तारीख निर्णय 18.5.26

रामधन पुत्र घसीडया जाति माली निवासी नौगांव तहसील तलावडा, जिला सवाई माधोपुर राज.

--सायल--

बनाम

हल्लू दत्तक पुत्र हूच्या जाति माली निवासी नौगांव तहसील तलावडा, जिला सवाई माधोपुर

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार, तलावडा --गैरसायलान--

<u>प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थितः- श्री तरूण शर्मा एडवोकेट सायल की ओर से

निर्णय

वादीगण ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि उपरोक्त उनवानी दावा आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें कामयावी की पूरी पूरी उम्मीद है। भूमि हाल खसरा नम्बर 1641 रकवा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 1642 रकवा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 1643 रकवा 0.50 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 1.09 हैक्टर सायल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, जिसके साविक खसरा नम्बर 567 रकवा 6 बीघा 1 विस्वा रहे हैं तथा सायल का हाल का रकवा साविक के मुकावले कम है किन्तु सायल मौके पर साविक रकवे अनुसार ही काश्त करता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 573 किश्म चारागाह व गैरमुमकिन तलाई सायल की शेष 9 ऐयर भूमि को हाल खसरा नम्बर 1640 में शामिल कर उसका गलत मिलान क्षेत्रफल कायम कर उसे गैरमुमकिन मरघट में दर्ज कर दिया है जबकि मौके पर कोई मरघट नहीं है, उक्त भूमि पूर्व से सायल की कब्जे काश्त की भूमि रही है, जिस पर सायल करीबन 60 साल से काश्त कर रहा है, बाकी गैरमुमकिन मरघट मौके पर खसरा नम्बर 1639

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

के उत्तर पश्चिमी कोने पर स्थित है, जिसमें करीबन 100 साल से गांववासियों के मुर्दे जलते हैं तथा मौके पर शमशान स्थित है, मुर्दों की राख तथा हड्डियाँ आदि मौजूद हैं। खसरा नम्बर 1637 का काश्तकार लोभी किश्म का व्यक्ति है, जिसकी उक्त शमशान की भूमि पर नियत खराब है तथा वह राजस्व कर्मचारियों से मेल जोल रखता है तथा उसे इस बात की जानकारी होने पर वह अब उक्त भूमि जहां पर मौके पर शमशान स्थित है, पर कब्जा करना चाहता है, तथा वह अतिक्रमण का आदी है तथा इनके अपने आने जाने की जमीन पर व ऐनीकट की करीवन 4 बीघा भूमि पर कब्जा किया हुआ है तथा उसकी अब शमशान की भूमि पर नियत खराब है तथा वह लोगों को बहकाता है कि यहां शमशान नहीं है, शमशान खसरा नम्बर 1690 में है जबकि उक्त भूमि कभी शमशान नहीं रही है, यह सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। उक्त भूमि से शमशान करीब 300 मीटर दूर स्थित है तथा खसरा नम्बर 1640 से सटवां सायल के पुख्ता मकानात बने हैं, यदि शमशान भूमि में मुर्दे नहीं जलाये जाकर खसरा नम्बर 1640 में जलाये जाते हैं तो सायल का पूरा मकान खराब हो जायेगा तथा सायल का उक्त भूमि पर जमाने बुजुर्गान से कब्जा है। दिनांक 15.06.2020 को खसरा नम्बर 1640 में सार सम्हाल कर रहा था तो गैरसायल ने सायल को धमकी दी कि तुम इस भूमि को खाली करो, इस पर मशान बनाउंगा, तव सायल ने आपत्ति की व कहा कि इस भूमि पर कभी मशान नहीं रहा है, बाकी मशान यहां से 300 मीटर दूर है, जिस पर तुम कब्जा करने का गलत प्रयास कर रहे हो, वह भूमि मशान है, तथा जो मौके पर भी है। पूरा गांव इस बात का गवाह है, आपने करीबन 4 बीघा नाले व ऐनीकट की भूमि पर भी नाजायज कब्जा किया हुआ है। फिर भी आप अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हो, यह शमशान पूरे गांव की है। तथा खसरा नम्बर 1640 मेरी भूमि है तो गैरसायल आवेशित हो गया व कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो खसरा नम्बर 1640 से तुम्हें जबरन बेदखल कर इस पर मुर्दे जलाउंगा व शमशान की भूमि पर कब्जा करूंगा व तुम्हें काश्त नहीं करने दूंगा, तुम कोर्ट के चक्कर लगाते रहना, इस कारण दावा सायल प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। भूमि खसरा नम्बर 1640 सायल की खातेदारी की भूमि रही है तथा जिस पर सायल का वर्षो से कब्जा रहा है। जिसमें कभी

शमशान नहीं रहा है तथा उक्त भूमि को गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन मशान दर्ज कर दिया गया है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। सायल का प्रथम दृष्टया केस पूर्णतया सावित है। सुविधा का सन्तुलन भी सायल के हीपक्ष में है। यदि गैरसायलान को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नहीं फरमाया गया तो सायल को अपूर्तिदायक क्षति होगी, जिसकी पूर्ति द्रव्य में भी सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि गैरसायलान को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पत्र इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वह भूमि हाल खसरा नम्बर 1640 रकवा 0.09 हैक्टर स्थित ग्राम नौगांव तहसील गंगापुर सिटी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें, ना ही किसी अन्य से करावें एवं उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें व शमशान की भूमि पर कब्जा नहीं करें। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर तलबी गैरसायलान की गयी गैरसायल नम्बर 2 के प्रतिनिधी तहसीलदार उपस्थित हुए गैरसायल संख्या 1 बावजूद सूचना हाजिर अदालत उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 449, 01 नजरी नक्सा, मिलान क्षेत्रफल, व जमाबन्दी साविक पेश किये है।

वकील सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुये निवेदन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 1641, 1642, 1643 कुल रकबा 1.09 है0 सायल की खातेदारी व काश्त की भूमि है जिसका साविक खसरा नम्बर 567 रकबा 6 बीघा 1 विस्वा रहा है। सायल का हाल रकबा साविक रकबे के मुकाबले कम है जबकि सायल साविक रकबे के अनुसार काबिज है। सायल के कम रहे रकबे को हाल खसरा नम्बर 1640 मे शामिल कर गैरमुमकीन मरघट के रूप मे दर्ज कर दिया है जबकि मौके पर कोई मरघट नही है। सायल पिछले 60 वर्षो से काश्त करता चला आ रहा है। मरघट

मौके पर खसरा नम्बर 1639 के उत्तरी पश्चिमी कौने पर है। खसरा नम्बर 1637 का खातेदार लोभी किस्म का व्यक्ति है तथा शमशान की भूमि पर खराब नियत रखकर कब्जा करना चाहता है। इसके अपने आने जाने की जमीन व एनिकट की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। यह लोगो का भड़काता है कि उक्त भूमि शमशान की नही है। शमशान की भूमि खसरा नम्बर 1690 है खसरा नम्बर 1640 से सटवा सायल के पुख्ता मकान बने हुये है। यदि खसरा नम्बर 1640 मे मुर्दे जलाए जायेगे तो सायल का मकान खराब होगा दिनांक 15/08/2020 को गैरसायल ने धमकी दी की तुम इस भूमि को खाली करो इस पर शमशान बनाउगॉ। इसलिये सायल को पाबन्द फरमाया जावे कि वह खसरा नम्बर 1640 की 0.09 है0 भूमि ग्राम नौगॉव मे सायल के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे।

बहस पर मनन किया पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 449 खसरा नम्बर 1641, 1642 1643 की खातेदारी रामधन के नाम दर्ज है। जिसका कुल रकबा वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार 1.09 है0 है परन्तू पत्रावली मे प्रस्तुत मिलान से यह प्रमाणित है कि भूमि खसरा नम्बर 1641 का रकबा 0.08 है0, 1642 रकबा 0.70 है0 व खसरा नम्बर 1643 रकबा 0.69 है0 है। जो कुल मिलाकर 1.47 है0 होता है। इस सम्बन्ध मे सायल द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है कि दौराने हाल सेटिलमेन्ट उसे अपनी खातेदारी मे साविक के मुकाबले केवल 1.09 है0 भूमि ही मिली है। जिससे सायल का प्रकरण अपने आप मे ही प्रमाणित नही होता है क्याकि सायल के मुताबिक उसे केवल 1.09 है0 भूमि ही मिली है। जबकि सायल द्वारा जो भूमि चाही गयी है। वह भूमि केवल 0.09 है0 है। जबकि सायल की भूमि यदि सायल के कथनो पर विश्वास किया जाता है तो साविक के मुकाबले 0.42 है0 भूमि कम है परन्तू सायल द्वारा जानबूझकर तथ्यो को छुपा कर शमशान घाट की भूमि धारा 16 आर0टी0एक्ट0 प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी मे आती है जहॉ तक गैरसायल संख्या 1 का प्रश्न है। गैरसायल संख्या 1 के सम्बन्ध मे कोई राजस्व रिकॉर्ड सायल द्वारा प्रस्तुत नही किया है ना ही ऐसा कोई ठोस प्रमाण

प्रस्तुत किया है जिससे सायल के कथनो की पुष्टि हो सके। सायल के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसे साविक मुकाबले जो भूमि प्राप्त हुई है वह पुरी व सही रूप से प्राप्त हुई है। सायल ने तथ्यो को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायल का प्राईमाफैसी केस किसी भी प्रकार से सावित नही है। ना ही सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है। और यदि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो ग्रामवासियो को शमशान घाट का उपयोग उपभोग करने से रोकने के कारण अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र सायल आधार हीन होने के कारण निरस्त होने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.5.26 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीणा)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी